न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021

प्रार्थीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. जगदीश कुमार पुत्र मंशाराम
2. भरत कुमार पुत्र मंशाराम जातियान श्रीमाली निवासी वगतापुरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. रामाराम पुत्र धीराराम
2. सोमाराम पुत्र धीराराम
3. बाबुराम पुत्र गजा जातियान कलबी
4. सुरता पुत्र छोगाराम
5. अमृत कुमार पुत्र नरसीराम ना.बा. जरिये माता कुखीदेवी पत्नि नरसीराम
6. अम्बा पुत्री हकमा
7. अशोक कुमार पुत्र डाया
8. आरतीकुमारी पुत्री नरसीराम ना. बा. जरिये माता कुखीदेवी पत्नि नरसीराम
9. कुखीदेवी पत्नि नरसीराम
10. कमलादेवी पत्नि लच्छाराम
11. कसुम्बी पुत्री हकमा
12. कालीदेवी पत्नि डाया
13. खेमा पुत्र वीरा
14. गीता पुत्री दाना
15. छतराराम पुत्र दाना
16. जबराराम पुत्र दाना
17. दक्षाकुमारी पुत्री नरसीराम ना. बा. जरिये माता कुखीदेवी पत्नि नरसीराम
18. दाडमी पुत्री छोगा
19. दिपककुमान पुत्र नरसीराम ना. बा. जरिये कुदरती वली कुखीदेवी पत्नि नरसीराम
20. दिपककुमार पुत्र लच्छाराम
21. पता पुत्र वीरा
22. प्रकाश पुत्र डाया
23. पोपट पुत्र मनरूपा
24. बाबुराम पुत्र नरसीराम
25. भावेश कुमार पुत्र लच्छाराम
26. मृतक भावा पुत्र वीरा के कायम मुकाम वारीसानः–

26/1 गमना पुत्र भावा
26/2 दला पुत्र भावा
26/3 दक्षा पुत्री भावा

27. भीखा पुत्र छगना
28. मकनाराम पुत्र हकमा
29. मणीदेवी पत्नि दाना
30. मनीषकुमार पुत्र लच्छाराम
31. रमेश पुत्र मनरूपा
32. [illegible] पुत्री हकमा
33. [illegible]लीकुमारी पुत्री नरसीराम
34. [illegible] पुत्र [illegible]
35. कचना पुत्र छोगा
36. [illegible]ालाराम पुत्र डाया
37. शांति पत्नि छोगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested

38. सेजी पुत्री हकमा
39. सारदा पुत्र दाना
40. हेमता पुत्र मनरूपा
41. हेमी पुत्री डाया जातियान मेधववाल (मेगवंशी) तमाम निवासीयान वगतापुरा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर
42. शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैक शाखा रानीवाडा
43. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 43 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 18.01.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा वगतापुरा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की स्वामित्व की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 399 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नबंर 401 रकबा 0. 84 हैक्टर, खसरा नबंर 437 रकबा 0.81 हैक्टर जुमले रकबा 1.67 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम के दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 437 व खसरा नबंर 401 के पडौस में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी मौजा वगतापुरा तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 438 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नबंर 400 रकबा 0.46 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 401 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 403 रकबा 0.24 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से दर्ज है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 437 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 435 रकबा 0.05 हैक्टर आई हुई है। जिसकी खातेदारी आराजी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 437 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 से 40 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 433 रकबा 0.20 हैक्टर आई हुई है, जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में 4 से 25 व 26/1 से 26/4 के पुर्वज मृतक व भावा पुत्र वीरा तथा 27 से 41 की खातेदारी आई हुई है। उक्त आराजी के खातेदार वादलीदेवी पत्नि हकमा फौत हो चुकी है। उनके कायम मुकाम राजस्व रेकर्ड में संयोजित होने से प्रकरण हाजा में संयोजित कर दिये गये है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 401 के दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नबंर 402 रकबा 0.03 हैक्टर आई हुई है जो राज्य सरकार के खाते में दर्ज है तथा उक्त आराजी पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 सुरता द्वारा कब्जा कर रखा है।

2. अप्रार्थी संख्या 1 से 41 जो कि प्रार्थीगण की आराजी के लोर को खुर्द–बुर्द कर प्रार्थीगण की आराजी को हडप करना चाहते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 41 उक्त सीमा के विवाद को कायम रखना चाहते है। इस विवाद के चलते प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 41 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदार रानीवाडा को प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 15.3. 2021 के आदेश के तहत पैमाईश करने का आदेश हल्का पटवारी पर जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 18.4.2021 को हल्का पटवारी पैमाईश हेतु मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested

आये, परन्तु मौके पर विवाद होने से वादग्रस्त माठ का सीमाज्ञान कार्य संभव नहीं किया। हल्का पटवारी की मौका फर्द संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। इसलिये विवाद को खत्म करने के लिये स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 41 माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 41 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है।

3. इस प्रकार विवाद की स्थिति में प्रार्थीगण अपनी आराजी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 41 की आराजी की लगने वाली सीमा का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाना चाहते है। जिससे वास्तविक सीमा का ज्ञान हो सके तथा मौके पर विवाद नहीं हो तथा जो भी पक्षकार उक्त सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी का उल्लधंन करने की चेष्ठा करेगा तो व कानुन व न्यायालय में गुनहगार होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा वगतापुरा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 401 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नबंर 437 रकबा 0.81 हैक्टर जुमले रकबा 1.65 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 438 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नबंर 400 रकबा 0.46 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 403 रकबा 0.24 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 435 रकबा 0.05 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 41 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 433 रकबा 0.20 हैक्टर तथा सरकारी भुमि खसरा नबंर 402 रकबा 0.03 हैक्टर जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 का अतिक्रमण है, की पैमाईश करवा कर माठ पर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने हेतु कमेठी गठित कर स्थाई पत्थर गड्ढी करवाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर न्याय हित में आदेश फरमावें।

4. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 42 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. अप्रार्थी संख्या 43 की ओर राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा वगतापुरा के वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 399, 401 व 437 जूमले रकबा 1.67 हेक्टेयर में जगदीश कुमार पुत्र मंछाराम 1/2 भरतकुमार पुत्र मंछाराम 1/2 जाति श्रीमाली सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश हेतु आवेदन करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 86 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा पटवारी हल्का बडगांव को पैमाईश हेतु आदेर्शित किया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का बडगांव द्वारा मौके पर पैमाईश नही की जा सकी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद है। पुलिस की उपस्थिति में सीमाकंन व पत्थरगढी किया जाना उचित है।

6. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज, अप्रार्थी संख्या 43 के जवाब का अवलोकन करने व प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 43 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.04.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस व जवाब में सीमाविवाद होना स्वीकार किया व प्रार्थीगण प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 401, 437, 438, 400, 403, 435, 433, 402, 399 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद वगतापुरा पटवारी मण्डल बड़गांव के खसरा नम्बर 401, 437, 438, 400, 403, 435, 433, 402, 399 रकबा क्रमश 0.84, 0.81, 0.42, 0.46, 0.24, 0.05, 0.20, 0.03, 0.02 हेक्टेयर की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 18.01.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:54 IST
Reason: SelfAttested